संख्या-29/2016/1328/43-1-2016-7(2)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 नन्द लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासनिक सुधार निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊः: दिनांकः 30 नवम्बर, 2016

विषयः- प्रशासनिक सुधार निदेशालय के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल, प्रशासनिक सुधार निदेशालय के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन संख्या-यू0पी0 32 बी0जी0- 1812 (अम्बेस्डर कार) के प्रतिस्थापन स्वरूप निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय के उपयोगार्थ एक नए वाहन मारूति सियाज वी0एक्सआई+(यूरो-4 कम्प्लायन्ट) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014 दिनांक 22 मई, 2015 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर समस्त चार्जेस सहित क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 7,60,568.00/- (रूपये सात लाख साठ हजार पॉच सौ अडसठ मात्र) को व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त वाहन का क्रय समय-समय पर वाहन क्रय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए डी.जी.एस एण्ड डी. रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जाएगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवक्ता तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों की वैधता सुनिश्चित् कर ली जाएगी| यह भी सुनिश्चित् किया जाएगा कि निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो| किसी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि को व्यय करने में शासनादेश संख्या-18/2016/557ई-1/तेरह-2016-18/2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गई शर्तों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।

4- उक्त वाहन के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46-लेखाशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-091-संलग्न कार्यालय-आयोजनेत्तर-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-9-394/दस-2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2016/1328(1)/43-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/व्दितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/व्दितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।